



COLLEGE OF AGRICULTURE - LALSOT
(Sri Karan Narendra Agriculture University-Jobner)
कृषि महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा (राज.) - 303511

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Dr. D.K. Yadav
DEAN

Mob. No. - 7976144702

Email: dean.coalalsot@sknau.ac.in

Date: 13-02-2025

No. F /Store/ACL/2025/209


OPEN TENDER NOTICE

Sealed tenders in two envelops (Technical & Financial) are invited from the reputed firms for the supply of **All in one Desktop** as per details given below. The tenders will be accepted upto 11.30 AM on **24.02.2025** and will be opened at 12.00 Noon on the same day at College of Agriculture Lalsot, Dausa. Bid documents can be obtained from this office by depositing bid document fees DD or cash ₹ 500/- and also download from University website www.sknau.ac.in & sppp.rajasthan.gov.in (will have to submit DD or cash ₹ 500/- in favor of 'Dean Cum OSD Agriculture College, Lalsot', while submitting bid). Bidders have to quote their rates for each item separately in the performa attached. The committee has all right to accept/reject any tender without assigning the reasons thereof. The approximate purchasing can be increased /decreased. The estimated cost will be approximately Rs 980000 and earnest money ₹ 19600/- will be deposited in favor of "Dean cum OSD Agriculture College, Lalsot" which the tender will not accept. Earnest money will be refunded to the non-successful firms after finalization of the tender and successful bidders after satisfactory supply of the items.

- SD -
DEAN

Copy forwarded for information and necessary action:

1. The Comptroller, SKNAU, Jobner with the request that kindly depute your nominee for the same.
2. Incharge CIMCA with the request to upload this open tender on university website: www.sknau.ac.in & sppp.rajasthan.gov.in
3. The Convenor/Member Tender Committee, COA, Lalsot
4. Accounts Section, COA, Lalsot
5. Notice Boards, COA, Lalsot


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)

The requirements of the following equipments for COA Lalsot

S. No.	Name of items	No. of Items
1.	All in one desktop	14


NOTE: The specifications of the above lab equipments are given in ANNEXURE-I

Terms and conditions-

- All the equipments/instruments/items should be according to given specifications and required certification.
- The brochure of the equipments/instruments/items, if available, be submitted.
- The cost will be inclusive of all the taxes, packing delivery and installation at College of Agriculture Lalsot, Dausa (Rajasthan)
- Free delivery, installation and demonstration of operation of the equipments/instruments/items.
- Instructional manual to be provided as per requirement.
- The supplier should enclose the technical compliance statements against our technical specifications clearly mentioning for each point. The statement should be supported by relevant literature/data.
- Manufacturer/company should have CE/ISO/GMP/ certification as per requirement of particular equipments.
- If the same rates have been quoted by two or more tenders the committee will be authorized to finalize as per turnover and service experience.
- The rates quoting should have GST number for fill the tender & submit documents with technical envelop.
- The bidder bear the responsibility of GST/other charges etc. as per Government rules.
- All the items must be of standard and good quality.
- Turnover of the seller from last 3 years must be virified by authorized Chartered Accountent.
- The undersigned have the power of rejection in case of supplied items would not full fill the prescribed specifications.
- The turn over will be essential at least 1.5 times more of qyated category for 3 year**

Bids shall satisfy the following conditions:

- The technical bid will be quoted in the format provided (Annexure-1) along with all required documents and proofs in mentioned serial number.
- The financial rate will be quoted in the format provided (Annexure- 2) in INR only and there should be clear mention of net price of the item and taxes (GST & others, if any), separately. Rate shall be valid for a minimum period of 180 days from the last date fixed for the receipt of quotations.
- The rate quoted shall be free delivery and installation at College of Agriculture Lalsot.
- Delivery must be completed within 20 days after issue of the supply order.
- Full specifications of the article quoted must be given in the quotation along with literature/pamphlet and name of brand and model No. of instrument etc.
- If the bid is submitted by the authorized dealer on behalf of the Manufacturer/OEM, then valid authorization certificate of the Manufacturer/OEM must be attached with the bid.
- The EMD shall be refunded without interest to the unsuccessful bidders after finalization of the tender. In case of successful bidder, it can be adjusted towards security/performance deposit which is 5.0% of the order value in the form of D.D. from nationalize bank drawn in favor of **Dean cum OSD Agriculture College, Lalsot** payable at LALSOT and shall remain valid for 60 days beyond the date of completion of all contractual obligation of supplier including warranty obligation for the equipment.
- The Dean, College of Agriculture Lalsot reserves the right to accept or reject any or all the quotations either in full or in parts without assigning any reason.
- Scanned copy of PAN, GST nos., Authorised dealer, sale licence may be attached with the bid.
- Technical and financial bids are to be prepared separately. If technical and financial bids are not given separately, it will be rejected out rightly with assigning any reason.
- In case, any dispute arising out of this contractor shall be subject to the Jurisdiction of Indian laws and Court at Lalsot. Price preference and/or purchase preference as per provisions of Government of Rajasthan shall be admissible in evaluation and award of contract.
- The following documents must be furnished with the technical bid (Annexure I) failing which tender will not be accepted at all.
 - Scanned copy of PAN, GST nos, latest GST clearance with bank details.


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)


- ii. Current Authorization letter issued from Manufacture/Principal Firm whichever are applicable/ authorised dealer / sale licence.
 - iii. Earnest Money Deposit (EMD) as per items quote.
 - iv. Required Certificates ISI/ISO, GMP, CE etc. (whichever is applicable).
 - v. Statement of past supplies and performance (at least 03 in Government organizations only) with user's satisfactory certificate as per prescribed specifications.
 - vi. Three years turnover certificates from CA authorized.
13. Financial Bid should be submitted separately in sealed envelope as per the format given in Annexure II.

कृषि महाविद्यालय, लालसोट

तकनीकी बिड
(लिफाफा नं. 01)

निविदा की नियम व शर्तें :-

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
2. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेज संलग्न करें ।
3. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी। निविदा के साथ सम्पूर्ण सामान के लिए 2 प्रतिशत धरोहर राशि ₹ 19600/- आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा के साथ **TAN/PAN/GST** नम्बर आयाकर/बिक्री कर क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में जिस पर **Computer Suply** के लिए निविदा लिखा हो प्रस्तुत करनी होगी।
6. निविदा में कांट छंट नही होनी चाहिए। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
7. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि लौटायी नहीं जावेगी।
8. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. जमानत राशि 5 प्रतिशत जमा करानी होगी। जिसमें 2 प्रतिशत धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी। जमानत राशि सामान सप्लाई/कार्य समाप्ति के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. निविदा के अनुसार सामान न देने व कार्य न करने/कार्य बीच में छोड़ने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार करना होगा।
12. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है की शर्तों के अनुसार करने हेतु निविदादाता को 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र लालसोट होगा।
14. न्यूनतम निविदा पर जिसे कमेटी उचित न समझे कृषि महाविद्यालय, लालसोट स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
15. निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को होगा।
16. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी।
17. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
18. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्ज खर्चों पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। तथा बोली प्रतिभूति (Bid security) एवं कार्य संपादन राशि **(Performance Security)** जब्त की जा सकेगी।
19. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय निविदा किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति **(Bid security)** एवं कार्य संपादन राशि **(Performance Security)** जब्त की जा सकेगी।
20. बोली प्रतिभूति (Bid security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'य') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।
21. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान, क्षतपवम चतममितमदबमद्ध की हकदार नहीं है, द्वारा निविदा दत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।



DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Dausa (Dausa)

22. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-
- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5
 (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0
 (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5
 (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00
23. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर को यह अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।
24. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।
25. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) एवं कार्य संपादन राशि (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
26. केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ-साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी आधार माना जाएगा।
27. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार - बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उक्तधित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
28. सत्यनिष्ठा संहिता - उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति -
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्तत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

29 हित का विरोध -

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया, कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माफत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

30. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण - प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘र’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जौन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र -‘र’) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।




DEAN
College Of Agriculture
:KN Agriculture University, Jobner
(alsot Dausa)

- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. अपील फाइल करने के लिए फीस - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हों, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
 (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।


निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर


 DEAN
 College Of Agriculture
 SKN Agriculture University, Jobner
 Jaipur (Dausa)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।
यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (वितमिपज) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
(Dausa)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालयों में Equipments Supply की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
District (Dausa)

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने Equipments Supply जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को Lab Equipments आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University
Bikaner

Affidavit
(On non-judicial stamp paper of 50/-)

I..... S/o Aged..... yrs,
residing at Proprietor/Partner/Director of M/s do hereby
solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement of
Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center.....The
acknowledgment No. is Dated and has been issued for
manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been
cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the
above items.


(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to
manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I..... S/o Aged yrs residing at
Proprietor / Partner/ Director of M/s verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c)
above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me
God.

Deponent


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
District (Jaipur)

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (₹)
2021-22
2022-23
2023-24
योग

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक


Verified by C.A. with UDIN


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Jaipur (Rajasthan)

कृषि महाविद्यालय, लालसोट
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
तकनीकी निविदा प्रपत्र
(लिफाफा नं. 01)

1. के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता.....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट।
4. सन्दर्भ :
5. निविदा शुल्क रु..... नकद/चैक /DD जो रसीद सं..... द्वारा जमा कराया गया।
6. हम निविदा सूचना संख्या 209 दिनांक 13/02/2025 की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर हैं, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
7. उपरोक्त दरें कार्य एक वर्ष तक मान्य रहेंगी जिसे आपसी सहमति से तीन माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
8. ड्राफ्ट/चैक नं..... नकद रसीद सं..... दिनांक..... रुपये..... धरोहर राशि के साथ संलग्न है।
9. आयकर विवरणी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन/PAN/GST नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है।
10. निर्माता/डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है।
11. Annexure-I संलग्न है।
12. चाहे गये सामान/कार्य के लिए हमारी दरें इस प्रकार है & List enclosed – Annexure-II (लिफाफा नं. 02)

(हस्ताक्षर निविदादाता)


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)

ANNEXURE I
Prescribed format for submitting Technical Bid

Technical bid vides tender number209.....dated .13/02/25 must fill in Annexure 1

(I) All in one Desktop

S. No.	Equipment	Specifications	Quantity (No.)	Make/ Model of item/ goods offered	Bidder's Response Please indicates whether items/goods quoted conform to the specifications (Yes/No).	Proof submitted at page No)
1	All in one desktop	<ul style="list-style-type: none"> • Processor Make - Intel Core i5 • Generation - 13 Gen. • Display – 23.8/24 Inch FHD • Clock speed - up to 4.7 GHz • Number of Cores - 12 cores • RAM Size (GB) - 16 GB • HDD/SSD Capacity - 512GB SSD • Operating system - Windows 11 Home Single Language in S mode • Connectivity – Ethernet & Realtek Wi-Fi 6 (1x1) and Bluetooth® 5.3 compatible combo • Audio - 2 W Internal speakers (right-left) • Camera - Pop-up Camera 1080p FHD & above • Input and output ports - HDMI output port, RJ-45 Ethernet port, Headphone/microphone combo port, USB 3.2 Gen 1.0 Type-C® port (5 Gbps signaling rate), USB 3.2 Gen 1.0 Type-A port (5 Gbps signaling rate), USB 2.0 Type-A ports Power supply - 90 W Smart AC power adapter 	14			


मेक व मोडल नम्बर लिखना अनिवार्य है।

NOTE: The quated items must be fulfilled all the specifications prescribed in the ANNEXTURE-I and write YES/NO in column No. 6. The specifications of supplied items will be verified. In case of not fulfillment of specification the Items will be rejected.

Name & Signature of Bidder

Name of Firm:

Address:


DEAN
 College Of Agriculture
 SKN Agriculture University, Jobner
 District (Dausa)

ANNEXURE II

Prescribed format for submitting Financial Bid

Financial bid vides tender number..209
envelop No. 2

dated 13/6/25 Must fill in Annaxure II and submit


(I) All in one Desktop

S. No.	EQUIPMENT	Make & Model No.	Quated prise per piece	GST	Quated prise per piece inclushive GST
1	All in one desktop				

ANNEXURE-II *Price including IMD, testing, packing and forwarding charges.

Name of Firm:

Address:


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Ialsot (Dausa)